1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
16.12.2022	नामान्तरण अपील वाद सं0 10/2013–14 गौरी शंकर सिंह वगैरह प्रति नारायण सिंह वगैरह **आदेश** अभिलेख अन्तिम निरस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के नामांतरण वाद सं0 217/2005–06 में पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से मूल अभिलेख एवं वाद की भूमि से संबंधित स्थल जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:–** The humble memo of appeal on behalf of the above named appellants, is as follows; Being aggrieved by and dis-satisfied with the order passed in mutation case no 217 of 2005-06 passed by the c.o. Bhawnathpur, Dist Garhwa the Appellants beg to prafar this memo of appeal on amongst the others the following;- 01 For that the order of the co Bhawnathpur, is illegal, and is Liable to be set aside. 02 For that originally the land of khata no 258 total area 23.35 Acres of village Makari Tola Kuarthika P.S. and Anchal Bhawnathpur District Garhwa was recorded raiyat in the name of Late Balgovind Chero, by caste Chero (S.T.) in the last cadestral Survey and Settlement operation. 03 For That the Genealogical table of late Balgovind Chero Survey Raiyat is mentioned here in below in order to appreciate the right and possession of the appeallants,	

लगातार ....

Scanned with CamScanner

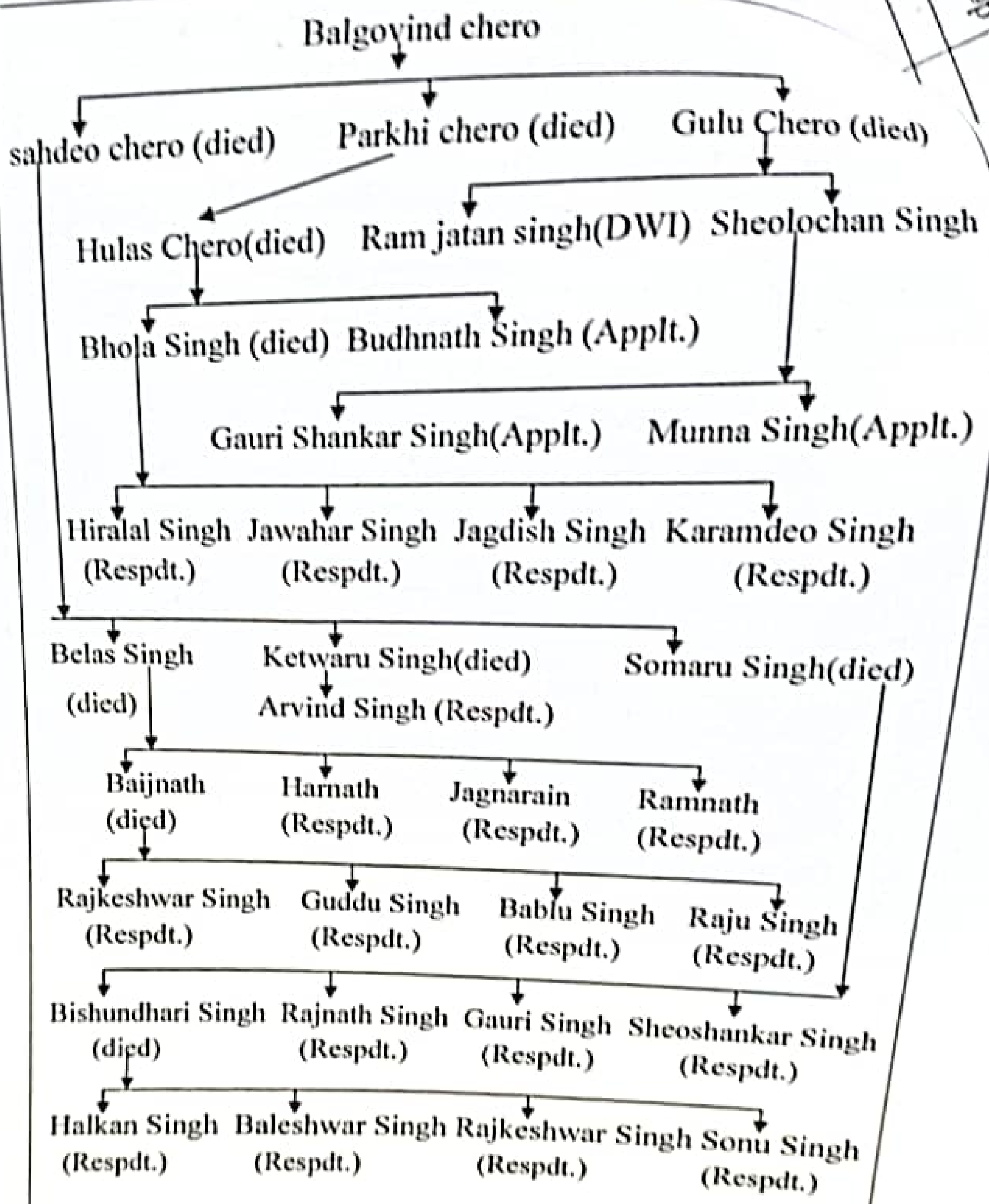

04 For That all the heirs of Late Balgovind Chero have been coming jointly in possession of the land of khata no. 258 of village maksri.

05 For that joint rent receipts of the land of khata no. 258 are issued.

06 For That when the appeallants went in the bhawnathpur block then learnt that illegally and falsely

Scanned with CamScanner

1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	demand has been split up in hte name of Narain Singh, without any notice, Istehar, so same is illegal and liable to be set aside. 07 For That Ramjatan singh son of Gulu chero was died without any issue still Narayan singh falsely said himself as son of late Ramjatan singh but actually said Narain Singh is by caste Thakur (Nai) and is son of Late Jugal Thakur and Name of his mother is Barti Devi of vill P.O. Banjari P.S. Akbarpur Distt. Rohtas (Bihar). so apparently order of the lower court is improper, illegal and false. 08 For That Partition never took place between the heirs of Balgovind chero But the C.O. apparently and falsely mentioned partition, so which is illegal and false and liable to be set aside. 09 For That Ramjatan Singh was by caste chero and died without any issue, but Narayan Thakur, Reapondent No. 1 by caste Naowa(Thakur) impersonated falsely as son of Ramhjatan Singh, still brought K.C. and C.O. in his collusion and managed illegal order of Mutation, so the same is fit to be set aside. 10 For That when no record is available of Mutation case no 217 of 2005-06 so, any order/orders passed by the c.o. is apparently illegal, false and baseless, and so is liable to be set-aside. there is no signature of the appellant, so the order passed by the c.o. is illegal and improper. 11 For That when appellants went before the K.C. for getting rent receipts of the land involved in this Appeal, then learnt about illegal order of mutation in the name of Narain Singh respdt No 01 then filed petition for obtaining the certified copy of order of mutation case no 217 of 2005-06, which the appeallant did not get and only got the certified copy of Register II on 14.06.2013 then filing this appeal. 12 For That the appeal is within time from the date of the knowledge of the order. 13 For That if the Appeal is treated to be delayed in any view of the matter then prayer is to condone the delay and to admit the appeal. लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

It is, therefore prayed that your honour mey be pleased order to admit the Appeal, Call for the record of partition, mutation case no. 217 of 2005-06 and after hearing the parties of the Appeal, be pleased to Set-aside the order of the lower court and allow the Appeal for the ends of Justice.

and further be pleased to order to condone the delay if any, in filing the Appeal u/s 5 of the Limitation Act for the ends of Justice. and this the Appellants shall ever pray.

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

01 मांगपंजी II की छायाप्रति .... 02 फर्द

02 शपथ पत्र की छायाप्रति .... 07 फर्द

03 पुराना खतियान की छायाप्रति .... 03 फर्द

04 मतदाता सूचि की छायाप्रति .... 24 फर्द

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 प्रत्यर्थी के विरूद्ध जारी नोटिस अनुचित व अवैध है।

02 अपीलार्थी के द्वारा दायर अपील गलत वेबुनियाद एवं तथ्य से परे है जो खारिज योग्य है।

03 अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी नारायण सिंह को जाति का ठाकुर लिखकर अपील दायर किया है जो सरासर गलत है प्रत्यर्थी नारायण सिंह जाति के चेरो है। जिनके पिता का नाम जतन चेरो था।

04 अपीलार्थी ने वर्ष 2005–06 के नामांतरण के विरूद्ध अपील दायर किए है जो सराकर गलत है अपील काल बाधित होने के बाद दायर किया गया है अतः यह अपील आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

05 प्रत्यर्थी नारायण सिंह ग्राम बनजारी जिला रोहतास में नौकरी करते है उसी का नाजायज फायदा उठाकर उनकी भूमि को हड़पने के साजिस करने के उद्देश्य से यह अपील दायर किए है जो खारिज योग्य है।

06 अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में अपील विलम्ब से दायर करने का कोई आधार नहीं दिया है इस आधार पर भी अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

07 प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी की भूमि है जिसमें कुल तीन हिस्सेदार है। जिसमें अपीलार्थी भी है जिसका आपस मे लिखित पंचायती बंटवारा हुआ उसी अनुरूप अपना नामांतरण कराकर लगान रसीद कटाते चले आ रहे है।

08 प्रत्यर्थी नारायण सिंह वो अपीलार्थी गौरी शंकर सिंह को एक हिस्सा में तख्ता लगा था उस पंचायती में जो दिनांक 10.08.1992 को हुआ था उसमें अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं किया।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

be pleased to
of partition,
g the parties
of the lower

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

09 गौरी शंकर सिंह अपीलार्थी एवं नारायण सिंह प्रत्यर्थी का आपस में 1/2 हिस्सा है उसी अनुरूप नारायण सिंह ने अपनी भूमि का नामांतरण कराया है इस बात की जानकारी अपीलार्थी को वर्ष 2005-06 में दी है क्योंकि उसी समय उनलोगों का नामांतरण हुआ है।

10 अपीलार्थी की नियत खराब हो गयी है एवं प्रत्यर्थी को परेशान करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई प्रारम्भ कराये है।

11 पंचायती के बाद सभी फरिकेन अपने अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार है उसी अनुरूप नामांतरण कराये है।

12 अपीलार्थी को किसी तरह की आपत्ति की तो उन्हें पंचायती में जरूर कहना चाहिए था।

13 फोटो पहचान पत्र एवं वोटर लिस्ट में स्पष्ट रूपेण नारायण सिंह पिता स्व0 जतन चेरो अंकित है। यह सब एक साजिस के तहत नारायण सिंह को ठाकुर बताया जा रहा है जो गलत है।

14 अन्य प्रत्यर्थी अपीलार्थी एवं नारायण सिंह के गोतिया है जो सभी प्रत्यर्थी इस बात को स्वीकार करते है नारायण सिंह ठाकुर नहीं बल्कि जाति चेरो है जो बनजारी में नौकरी करते है।

15 अंचल अधिकारी का आदेश सभी दृष्टिकोण से उचित एवं वैध है।

16 प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र में वर्णित सभी तथ्यों का खण्डन करते है।

17 हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक ने विधिवत जॉचोंपरान्त एवं अपीलार्थी की सहमति एवं जानकारी के बाद प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थीगण का नामांतरण हुआ है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर को स्वीकार कर अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी भवनाथपुर के द्वारा नामांतरण वाद सं0 217/2005-06 में पारित आदेश को यथावत बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल लिखित जवाब, राजस्व कागजात तथा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर का स्थल जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा मकरी थाना नं0 17 के गत सर्वे के खाता सं0 258 के कुल रकबा 23.35 एकड़ खतियानी रैयत बालगोविन्द चेरो वल्द नीधुवा चेरो के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के द्वारा पत्रांक 512 दिनांक 13.10.2022 में प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि का हाल सर्वे के खतियान भोला चेरो वो बुधन चेरो वो बेला चेरा वो सोमारू चेरो वो कतवारू चेरो वो रामजतन चेरो वो

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	शिलोचन चेरो के नाम से हाल सर्वे के खाता सं0 366 रकबा 23.30 एकड़ भूमि का बना है। गत सर्वे के खाता सं0 258 के खतियानी रैयत के वंशज नारायण सिंह नहीं है। रैयतों के बीच कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है तथा आवेदक गौरी शंकर एवं अन्य वारिसानों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं जोत–कोड़ है। नामांतरण पंजी सं0 7 में नामांतरण वाद सं0 217/2005–06 से अमना खातुन जौजे कलामुदीन अंसारी के नाम से दर्ज है एवं मौजा मकरी के मांगपंजी II के पृष्ट सं0 4 भाग सं0 11 पर दर्ज है। प्रत्यर्थी के द्वारा जिस भूमि का उत्तराधिकारनामा/बंटवारानामा के आधार पर दावा किया जा रहा है। अपने दावे के पक्ष में प्रत्यर्थी अथवा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के द्वारा उत्तराधिकारनामा या बंटवारानामा नामांतरण से संबंधित कोई साक्ष्य/राजस्व दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के द्वारा नामांतरण वाद सं0 217/2005–06 में पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, भवनाथपुर को अनुपालन हेतु भेंजे। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 16/XII भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। (हस्ताक्षर) 16/XII भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.15 10:57:50 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner